कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल

कमांक 2468/434/आउशि/अनु–ब/18 दिनांक 6 /12/2018

प्रति,

1. **समस्त प्राचार्य/शिक्षाधिकारी,**
   शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।
2. **समस्त प्राचार्य,**
   अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।

विषय– **पांचवें वेतनमान में दिनांक 01.4.2000 से 31.3.2002 तक का शेष 20% एवं 01.04.2002 से 31.12.2005 तक का शेष 50% अनुदान आवंटन हेतु गणना पत्र उपलब्ध कराने बाबत्।**

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमांक 244/190/आउशि/अनु–ब/18 दिनांक 26.11.2016

—00—

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवमानना प्रकरण कमांक 359/2014 में पारित निर्णय दिनांक 15.1.15 के परिपालन हेतु विषयांकित बकाया राशि का बजट प्रावधान कराया जाना है।

अतः **निम्नांकित** दो गणना पत्रकों में जानकारी आपके माध्यम से यह प्रमाणित करते हुये कि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को विषयांकित ऐरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया है। सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 03 **दिवस में विशेष वाहक के हस्ते** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **समय–सीमा का विशेष ध्यान रखें।**

(डॉ. सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

प्रपत्र–अ

शासकीय अग्रणी महाविद्यालय का नामः– .....

अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय का नाम .....

पांचवें वेतनमान में दिनांक 01.04.2000 से 31.03.2002 तक की शेष 20% राशि

क.	शिक्षकों/ कर्मचारियों का नाम	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	मंहगाई वेतन	अंतरिम राहत	गृह भाड़ा भत्ता	सीपीएफ राशि	कुल योग राशि	कुल योग की 20% राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	महायोग								

प्रपत्र–ब

शासकीय अग्रणी महाविद्यालय का नामः– .....

अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय का नाम .....

पांचवें वेतनमान में दिनांक 01.04.2002 से 31.12.2005 तक का शेष 50% राशि

क.	शिक्षकों/ कर्मचारियों का नाम	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	मंहगाई वेतन	अंतरिम राहत	गृह भाड़ा भत्ता	सीपीएफ राशि	कुल योग राशि	कुल योग की 50% राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	महायोग								